<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112024-258512 CG-DL-E-07112024-258512

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4447]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 2024/कार्तिक 16, 1946

No. 4447]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 2024/KARTIKA 16, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2024

का.आ. 4828 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ताम्र खनन उद्योग में लगी हुई सेवाओं को जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 13 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाई जाएं;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1941(अ), तारीख 7 मई, 2024 द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 मई, 2024 से छह मास की अविध के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति का छह मास की और अवधि के लिए विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताम्र खनन उद्योग में लगी हुई सेवाओं को 7 नवंबर 2024 से छह मास की अविध के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा.सं. एस-11017/11/97-आईआर(पीएल)] दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

7205 GI/2024 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2024.

S.O. 4828(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the Copper Mining industry, which is covered under item 13 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 7th May, 2024 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1941(E), dated the 7th May, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in the Copper Mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 7th November, 2024.

[F. No. S-11017/11/97-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.